

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 1981/वैसाख 9, 1903
No. 18]NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 1981/VAISAKHA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात-व्यापार नियंत्रण

आदेश संख्या 21/81

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1981

क्र. आ. 323 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947
क्र 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 1/81 दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के

अधीन प्रकाशित खुले सामान्य लाइसेंस. 1/81 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) उपर्युक्त खुले सामान्य लाइसेंस सं. 1/81 में शर्त सं. (15-क) के बाद निम्नलिखित और एक शर्त का निविष्ट किया गया समझा जाएगा :—

“15(क) निम्नलिखित लोहे तथा इस्पात की मर्चों के मामले में जिनका आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमय है, पात्र आयातकों वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) और अन्य को ऐसी संविदाओं को करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी आयात संविदाएं लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास पंजीकृत करवानी पड़ेंगी। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में सम्बद्ध संविदाओं पर मोहर लग जाने के बाद ही आयातों की स्वीकृति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास संविदा की दो प्रतियां जमा करानी चाहिए और वह प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर लगाकर उसकी एक प्रति पाटी को लौटा देगा। ये मर्चे निम्नलिखित होंगी :—

- (1) कार्बल में उष्ण कार्बन (0.6 प्रतिशत और इससे अधिक कार्बन) की इस्पात तार छड़ें।
- (2) क्रायल्स में सभी वर्गों की कार्बन की (0.6 प्रतिशत से कम कार्बन) इस्पात तार छड़ें।
- (3) 2.5 एम. एम. और कम की मोटाई में हाट रोल्ल शीट्स/स्ट्रिप्स/क्रायल्स।
- (4) आईएस-2830/2831 या इसके समतुल्य विशिष्टकरण के कार्बन इस्पात बिस्लेट्स।
- (5) स्कवेर्यस (राउण्ड/रोड्स/हैक्सागन्स/आक्टोगन्स/सभी श्रेणियों के कार्बन इस्पात के फलैट्स

[मिनिसल संख्या-आईपीसी/5/2/81]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Order No. 21/81

New Delhi, the 29th April, 1981

S.O. 323(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby

makes the following amendment to Open General Licence No. 1/81, published under the Ministry of Commerce Order No. 1/81 dated the 3rd April, 1981 :—

- (1) In the said Open General Licence No. 1/81, after condition No. (15-A), the following further condition shall be incorporated :—

“(15-B) In the case of undermentioned iron and steel items of which import is allowed under Open General Licence, the eligible importers—Actual Users (Industrial) and others—shall be required to register their import contracts with the Iron and Steel Controller, Calcutta, within fifteen days from the date of entering into such contract. Imports shall be made only after the connected contracts have been stamped by the Iron and Steel Controller, Calcutta as evidence of such registration. For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Iron and Steel Controller and he will return one copy to the party duly stamped on each page. These items are :—

- (i) High carbon (carbon 0.6 per cent and above) steel wire rods in coils.
- (ii) All grades of carbon steel (carbon less than 0.6 per cent) wire rods in coils.
- (iii) Hot rolled sheets/strips/coils in thickness 2.5 mm and below.
- (iv) Carbon steel billet to specification IS-2830/2831 or equivalent.
- (v) Squares/rounds/rods/hexagons/Octagons/ flats of carbon steel of all grades.”

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports
[F. No. IPC/5/2/81]

